

प्रेषक

आयुक्त
फैजाबाद मण्डल
फैजाबाद

प्रेषण

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: शि0स0/सी0बी0एस0ई0/

/2009-10 दिनांक: 22-8-2009

विषय: अयोध्या अकादमी रानोपाली अयोध्या फैजाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जाने में शासनादेश संख्या - 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 22.08.2009 के अनुसार एतदर्थ गठित समिति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिय जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्दल आफ सिकेन्डी एजुकेशन नई दिल्ली / कौन्सिल फार दि इंडियनस्कूल सर्टिफिकेट इक्विवैलेंस नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों

दिए जायेंगे।

Principal

Ayodhya Academy (54807)
C.B.S.E. Affiliation No.-2131319
Mani Parvat Road, Ranopali
Ayodhya, Faizabad (U.P.)

PRINCIPAL

Jawahar Navodaya Vidyalaya
Mankapur, Distt.Gonda (U P)
Pin-271302

Ayodhya Academy

Manager

(2)

5. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे ।
6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
8. प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जाय ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो शासनादेश संख्या-1916/ 15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(राजीव कुमार)
आयुक्त
फैजाबाद मण्डल
फैजाबाद

पृष्ठांकन संख्या: शि0स0/सी0बी0एस0ई0/3045-57/2009-10 तददिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. प्रबन्धक, अयोध्या अकादमी, राजोपाली अयोध्या, फैजाबाद ।

Principal

Ayodhya Academy (54807)
Affiliation No. 2131319
Main Post Road, Ranopali
Ayodhya, Faizabad (U.P.)

राजीव कुमार
आयुक्त
फैजाबाद

PRINCIPAL

Jawahar Navodaya Vidyalaya
Mankapur, Distt. Gonda (U P)
Pin-271302

Ayodhya Academy

Manager

आयुक्त
फैजाबाद मण्डल
फैजाबाद